UPRN010039412026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

पीठासीन अधिकारी– (रविन्द्र सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02003

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1524/2026

1. रामचन्द्र बालिग उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्व० धनीराम
2. सुमित बालिग उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रामचन्द्र निषाद
3. जगराम बालिग उम्र करीब 20 पुत्र रामचन्द्र निषाद

निवासीगण ग्राम अकबरपुर बीरबल, थाना सजेती, जिला कानपुर नगर।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

दिनांक : 22–07–2026

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रामचन्द्र, सुमित एवं जगराम की ओर से मु०अ०सं०–201/2026, धारा–191(2),115(2),351(3), 126(2),109(1) बी०एन०एस०, थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर के मामले में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वह ग्राम चन्दौलीतीर, थाना हमीरपुर कोतवाली मो0 न 0 8601318794 हाल पता ग्राम कोटरा मकरन्दपुर थाना सजेती कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 28.06.2026 को वह और दोस्त नन्द किशोर पुत्र जगदम्बा निवासी ग्राम कोटरा मकरन्दपुर ग्राम अकबरपुर बीरबल मे आईसक्रीम बेचकर घर जा रहे थे तभी अकबरपुर बीरबल निवासी रामचन्द्र, सुमित और जगराम और आठ–दस अज्ञात व्यक्तियो द्वारा हम दोनो को घेर लिया और लाठी डण्डो से मारने पीटने लगे और एक साथ बोलने लगे कि आज इन्हे जान से मार देगे और हम दोनो लोगो को जान से मारने की नियत से हाथ रस्सी से बाध दिये और लाठी डण्डो से मारने लगे तथा लाठी से गला दबा दिया तभी वह वही बेहोश हो कर गिर गया। फिर कुछ देर बाद पुलिस आयी और हम दोनो लोगो को छुडाया व हाथ खुलवाये अगर पुलिस नही आती तो आज हम मर जाते। विधिक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें साजिशन व रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। उन्होनें कोई अपराध नहीं किया है। आरोप फर्जी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घण्टे विलम्बित है, जबकि पुलिस मौके पर आयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय अंकित नहीं है। मामले में घटना का मोटिव स्पष्ट नहीं है। चुटहल को कहाँ–कहाँ चोटे आयी यह भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। यह उनका प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्तगण दिनांक–30.06.2026 से जेल में है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनके फरार होने की संभावना नहीं है। वे जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। उपरोक्त आधार पर उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि इस मामले में अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लाठी डण्डा से मारपीट कर वादी मुकदमा मनोज कुमार व उसके दोस्त नन्द किशोर को गंभीर चोटे पहुॅचायी गयी है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.07.22 16:17:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि इस मामले में वादी मुकदमा के द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अन्य आठ–दस अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर लाठी डण्डों से उसे व उसके दोस्त नन्द किशोर को मारपीट कर गंभीर उपहति कारित किये जाने के बाबत संबंधित थाने पर अभियोग दर्ज कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार चुटहल मनोज कुमार के तीन चोटे आना बतायी गयी है तथा उनकी प्रकृति साधारण बतायी गयी है व चोटे मजबूत कुन्द हथियार से आना बताया गया है। चुटहल नन्द किशोर के दो चोटे आना बतायी गयी है तथा उनकी प्रकृति साधारण बतायी गयी है व चोटे मजबूत कुन्द हथियार से आना बताया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि पुलिस मौके पर आने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में 24 घण्टे का विलम्ब हुआ है। यह भी तर्क रखा गया कि घटना का कोई मोटिव प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित नहीं है। अभियुक्तगण दिनांक–30.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। यद्यपि अभियोजन की ओर से अभियुक्त रामचन्द्र का एक मुकदमें का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अभियोजन की ओर से ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अभियुक्त रामचन्द्र उक्त आपराधिक मुकदमें में दोषसिद्ध किया गया है। शेष अभियुक्तगण सुमित व जगराम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के एक–एक प्रतिभू सहित, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार निष्पादित करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तगण के द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग दिया जाये कि–

1– प्रत्येक आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि दौरान विवेचना वह विवेचना में सहयोग करेगें तथा विवेचना उपरान्त दौरान विचारण न्यायालय साक्षियो को डराये धमकायेगा नहीं और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा ।

2– प्रत्येक आवेदक दौरान विचारण साक्ष्य की तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगे तथा इस शर्त का उल्लंघन होने पर इसे जमानत का दुरूपयोग माना जायेगा तथा न्यायालय इसके विरूद्ध विधिनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

3– प्रत्येक आवेदक विचारण प्रारम्भ होने के समय,आरोप विरचन एवं बी०एन०एस०एस० की धारा–351 के अन्तर्गत पृच्छा अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगे। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाती है कि आवेदक जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुए आवेदक के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही करेगी।

दिनांक–22.07.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।